भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *82

उत्तर देने की तारीख : 27.07.2026

विलंबित भुगतान के कारण बंद हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

***82. श्री नीरज डांगी:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लंबित भुगतानों में कितनी वृद्धि या कमी हुई है;

(ख) सरकार के पास एमएसएमई समाधान पोर्टल पर अभी तक कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कई सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(पीएसयू) स्वयं एमएसएमई को समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं, यदि हाँ, तो ऐसे विभागों/पीएसयू के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भुगतान में विलंब के कारण कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बंद हुए या वित्तीय संकट में आ गए हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 27.07.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *82 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : पिछले तीन वर्षों में एमएसएमई समाधान पोर्टल पर रिपोर्ट की गई एमएसएमई की बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:

एमएसएमई समाधान पोर्टल पर रिपोर्ट की गई एमएसएमई की बकाया राशि			
वर्ष	**रिपोर्ट की गई एमएसएमई की बकाया राशि (करोड़ रुपए में)**	**भुगतान की गई एमएसएमई की बकाया राशि (करोड़ रुपए में)**	**एमएसएमई की बकाया राशि (करोड़ रुपए में)**
2023-24	16,369.43	14,403.06	1,966.37
2024-25	19,733.72	17,402.09	2,331.63
2025-26	15,115.14	12,528.68	2,586.46

समाधान पोर्टल 2.0 (दिनांक 24 अप्रैल, 2026 से) पर केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और सरकारी एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जून, 2026 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संचित बकाया राशि 48,209.46 करोड़ रुपए रही, जिसमें से 31,452.73 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। 16,032 करोड़ रुपए की बकाया राशि 45 दिनों से लंबित है और 724 करोड़ रुपए की राशि 45 दिनों से अधिक समय से लंबित है।

(ख) : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अंतर्गत एमएसई के विलंबित भुगतान के मामलों का निपटान करने के लिए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है। दिनांक 22.07.2026 तक, एमएसएमई समाधान पोर्टल पर एमएसई द्वारा दायर मामलों/आवेदनों का विवरण इस प्रकार है:

एमएसएमई समाधान पोर्टल पर एमएसई द्वारा दायर मामलों/आवेदनों की स्थिति			
एमएसई द्वारा दायर आवेदन (30.10.2017 से लागू)	**पारस्परिक रूप से निपटाए गए/अस्वीकृत आवेदनों की संख्या**	**निपटाए गए मामले**	**प्रक्रियाधीन आवेदनों/मामलों की संख्या**
2,56,892	1,05,622	59,077	92,193

ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल एमएसई से जुड़े विलंबित भुगतान विवादों का त्वरित, लागत प्रभावी और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 27.06.2025 को शुरू किया गया था। दिनांक 14.07.2026 तक, ओडीआर पोर्टल पर 26,997 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 4,470 मामलों का समाधान किया जा चुका है।

(ग) : एमएसएमई मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और अन्य हितधारकों द्वारा एमएसएमई की बकाया राशि के समयबद्ध भुगतान के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय करता है और नियमित रूप से बकाया राशि के समय पर भुगतान के लिए जोर देता है। इसके अतिरिक्त लोक उद्यम विभाग के दिनांक 06.05.2026 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार निर्धारित अवधि के पश्चात विलंबित भुगतान के मामले में सीपीएसई ग्रेडेड नकारात्मक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होगा। एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 30.06.2026 की अधिसूचना के तहत सभी सीपीएसई के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे ट्रेड्स के जरिए एमएसएमई के इनवाइसों का निपटान करें। यह उपाय एमएसएमई को किए जाने वाले समयबद्ध भुगतान को सुविधाजनक बनाएगा।

(घ) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, उद्यम कई कारणों जैसे कि कंपनी के स्वामित्वधारक में परिवर्तन, प्रमाण-पत्र की आवश्यकता समाप्त होना, डुप्लिकेट पंजीकरण, उद्यमों का बंद होना और अन्य कारणों से पोर्टल पर अपना पंजीकरण समाप्त कर देते हैं। पिछले 3 वर्षों में, उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) पर विपंजीकृत एमएसएमई की संख्या 1.65 करोड़ (दिनांक 01.04.2023 तक) से बढ़कर 8.84 करोड़ (दिनांक 30.06.2026 तक) हो गई है। पिछले तीन वर्षों में पंजीकृत एमएसएमई के अनुपात में बंद हुए एमएसएएमई की संख्या 1,21,805 है जोकि 0.19 प्रतिशत है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत और विपंजीकृत/बंद हुए उद्यमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

भारत सरकार ने मौजूदा उधारकर्ताओं को 2.55 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 05.05.2026 को आकस्मिक क्रेडिट गारंटी लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) 5.0 अधिसूचित की है। ईसीएलजीएस 5.0 के अंतर्गत कुल परिव्यय में से 2 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए निर्धारित किए गए हैं। एमएसएमई के लिए 100 प्रतिशत तथा अन्य व्यवसायिक खंडों के लिए 90 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करने का प्रावधान है। स्कीम के प्रारंभ से लेकर दिनांक 14.07.2026 तक 1,72,526 करोड़ रुपए की 4,65,807 गारंटियां जारी की गई हैं। इस स्कीम से भारत का एमएसएमई क्षेत्र लाभान्वित हुआ है जिसमें जारी की गई कुल गारंटियों (संख्या के अनुसार) का 98 प्रतिशत तथा कुल गारंटीकृत राशि का 82 प्रतिशत एमएसएमई के लिए है।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 82, जिसका उत्तर दिनांक 27.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्यम पंजीकरण पोर्टल (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म सहित) पर राज्य-वार पंजीकृत और विपंजीकृत/बंद हुए एमएसएमई की संख्या			
क्रम संख्या	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**2023-24 से 2025-26 के दौरान एमएसएमई का पंजीकरण**	**वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान विपंजीकृत/बंद हुए एमएसएमई**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14,096	130
2	आंध्र प्रदेश	35,72,991	4,297
3	अरुणाचल प्रदेश	40,705	71
4	असम	13,44,474	1,628
5	बिहार	37,51,035	3,879
6	चंडीगढ़	57,868	112
7	छत्तीसगढ़	11,69,962	1,589
8	दिल्ली	11,09,138	574
9	गोवा	1,02,103	311
10	गुजरात	33,08,783	11,150
11	हरियाणा	15,59,121	1,877
12	हिमाचल प्रदेश	2,64,484	578
13	जम्मू और कश्मीर	6,61,702	2,130
14	झारखंड	13,28,733	2,121
15	कर्नाटक	42,28,397	6,710
16	केरल	15,23,834	3,773
17	लद्दाख	14,208	35
18	लक्षद्वीप	1,891	6
19	मध्य प्रदेश	37,39,391	5,370
20	महाराष्ट्र	75,57,276	28,764
21	मणिपुर	1,37,814	447
22	मेघालय	67,715	93
23	मिजोरम	42,263	67
24	नागालैंड	65,371	46
25	ओडिशा	21,93,385	3,119
26	पुडुचेरी	87,265	311
27	पंजाब	16,31,685	1,109
28	**राजस्थान**	**34,21,338**	**9,881**
29	सिक्किम	31,961	82
30	तमिलनाडु	48,14,454	14,176
31	तेलंगाना	34,45,839	5,017
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	24,450	125
33	त्रिपुरा	2,93,821	103
34	उत्तर प्रदेश	67,61,488	5,700
35	उत्तराखंड	5,23,836	1,364
36	पश्चिम बंगाल	49,17,905	5,060
	कुल	**6,38,10,782**	**1,21,805**